FORM NO.III
फर्द अहकाम (नियम 26)
अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1, मुकाम झुन्झुनू
दीवानी मूल वाद संख्या-09/24 (CIS 47/24)
सेडुराम बनाम श्रीचंद व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.02.2026	अधिवक्ता वादी श्री मदन सिंह गिल उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री ईश्वर सिंह, श्री कैलाश जांगिड़ उपस्थित। लंबित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वादी ने वर्तमान वाद में गोदनामा दिनांकित 06.02.1981 को निरस्त करवाए जाने बाबत वाद पेश किया है। दावा दायरी के समय उक्त तथाकथित गोदपत्र की प्रति वादी के पास उपलब्ध नहीं थी। गोदपत्र सन 1981 में पंजीकृत हुआ है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने में समय लग गया, जिस कारण गोदपत्र की प्रति पेश नहीं की जा सकी। अब प्रार्थी/वादी को गोद पत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई है जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। अतः गोदनामा की प्रति को रिकार्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अधिवक्ता प्रतिवादी ने दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किया कि वादी ने जिस दस्तावेज को निरस्त करवाने के लिए दावा पेश किया है, वह दस्तोवज ही दावा के साथ पेश् नहीं किया जबकि उसके गोदपत्र की जानकारी आरम्भ से ही रही थी। प्रार्थना पत्र देरी से पेश किया गया है तथा देरी का कारण भी नहीं बताया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी की ओर से वर्तमान वाद में अन्य अनुतोष के साथ-साथ गोदपत्र दिनांकित 06.02.1981 को निरस्त करवाने का अनुतोष भी चाहा है। वादी की ओर से उक्त तथाकथित गोदनामा दिनांकित 06.02.1981 की प्रति पूर्व में वाद पत्र के साथ पेश नहीं कर अब पेश की है। वादी ने पूर्व में गोद पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं होना बताया है। प्रकरण में अभी वादी साक्ष्य लेखबद्ध की जानी शेष है। दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत हैं। दस्तावेज को रिकार्ड पर लिए जाने प्रकरण के	

FORM NO.III
फर्द अहकाम (नियम 26)
अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश संख्या-1, मुकाम झुन्झुनू
दीवानी मूल वाद संख्या-09/24 (CIS 47/24)
सेडुराम बनाम श्रीचंद व अन्य

न्याय-निर्णयन में सहूलियत रहेगाी। दस्तावेज को रिकार्ड पर लिए जाने से प्रतिवादी के पास खण्डन में साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं वादी गवाहान से जिरह करने का अवसर उपलब्ध रहेगा। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार कर दस्तावेज रिकार्ड पर लिया जाता है।

पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 14 नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांक 09.03.2026 को पेश हो।

SUSHIL KUMAR

Digitally signed by SUSHIL KUMAR
Date: 2026.02.26 11:06:44 +0530